संख्या-71/2026/।-1303092/एस0-72/38-2-2026

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास सस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 अप्रैल, 2026

विषय दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु अनुदान सख्या-013 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25/प्रशि0/बजट-4(15)/2026-2027, दिनांक 13 अप्रैल, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-013 के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ एवं नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए बजट में प्राविधानित कुल धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-013 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ हेतु रू0 1893.51 लाख (रूपये अटठारह करोड़ तिरान्नवे लाख इक्यावन हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम -003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) हेतु रू0 9631.50 लाख (रूपये छियान्नवे करोड़ इकतीस लाख पचास हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 11525.01 लाख (रूपये एक अरब पन्द्रह करोड़ पचीस लाख एक हजार मात्र) निम्नांकित विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर निम्नवत शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय, अपितु धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता /पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अनतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ का होगा।

(5) उक्त के अतिरिक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	01 वेतन	6,50,00,000 (रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र)
2	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	02 मजदूरी	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध	03 मंहगाई भत्ता	4,22,50,000 (रुपये चार करोड़ बाईस लाख पचास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ		हजार मात्र)
4	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
6	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	08 कार्यालय व्यय	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)
8	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	09 विद्युत देय	4,10,00,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र)
9	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
12	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
13	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
14	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
16	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ		मात्र)
17	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
19	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	45 अवकाश यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
20	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
21	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
22	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		लखनऊ		
23	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
24	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	55 मकान किराया भत्ता	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)
25	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
कुल				**18,93,51,000 (रुपये अठारह करोड़ तिरानबे लाख इक्यावन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	01 वेतन	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up

2	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	02 मजदूरी	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
3	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	03 मंहगाई भत्ता	32,50,00,000 (रुपये बत्तीस करोड़ पचास लाख मात्र)
4	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
5	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	06 अन्य भत्ते	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
7	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	08 कार्यालय व्यय	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
8	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	10 जलकर / जल प्रभार	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
9	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
10	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
11	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	13 टेलीफोन पर व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
12	013	2515000030300	15	15,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	(रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
13	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
14	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
15	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
16	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
17	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
19	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
20	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
21	013	2515000030300	47	20,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	(रुपये बीस लाख मात्र)
22	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	49 चिकित्सा व्यय	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
23	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
24	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	55 मकान किराया भत्ता	1,30,00,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)
25	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
कुल				**96,31,50,000 (रुपये छियानबे करोड़ इकतीस लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग		रू0 18,93,51,000 + 96,31,50,000= **रू0 1,15,25,01,000** (रूपये एक अरब पन्द्रह करोड़ पचीस लाख एक हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।

(3) नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।

(4) निदेशक, वित्तीय /सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

(6) ग्राम्य विकास अनु0-5/8

(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।